SESSIONS TRIAL/22/2023
State of Chhattisgarh Vs Himanshu and ors.

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) **सत्र खण्ड– रायगढ़ (छ.ग.)**	
पीठासीन अधिकारी–हरिश्चन्द्र मिश्र	
निर्णय दिनांक 14 जुलाई, 2026 सत्र प्रकरण क्रमांक – 22/2023 CNR No. –CGRG040002152023 थाना–बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा वर्तमान जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ अपराध क्रमांक – 19/2022 संस्थित दिनांक–13.05.2022/05.05.2023	
अभियोजन	छ.ग.राज्य द्वाराः- आरक्षी केन्द्र **बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा,** **वर्तमान** जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, छ.ग.
प्रतिनिधित्वकर्ता	श्री अनिल कुमार गोपाल, अपर लोक अभियोजक।
विरुद्ध	
आरोपीगण	**1– हिमांशु राकेश** पिता गणेशराम राकेश, उम्र–20 वर्ष, निवासी–टिकरीपारा बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, वर्तमान जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ०ग०)
	2– रवि राकेश पिता गोकुल राकेश, उम्र–33 वर्ष, निवासी–टिकरीपारा बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार– भाटापारा, वर्तमान जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ०ग०)
	3– जयनारायण देवांगन पिता जगदीश देवांगन, उम्र–23 वर्ष, निवासी–वार्ड नम्बर–05 बिलाईगढ़, थाना बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, वर्तमान जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ०ग०)
प्रतिनिधित्वकर्ता	आरोपीगण की ओर से श्री जी०डी० दीवान

	अधिवक्ता ।
घटना दिनांक	23.01.2022 की रात्रि 9.30 बजे से दिनांक 27.01.2022 की सुबह 07.00 बजे के मध्य ।
प्रथम सूचना पत्र दर्ज दिनांक	27.01.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	26.04.2022
आरोप विरचित दिनांक	10.06.2022
साक्ष्य प्रारम्भ दिनांक	18.07.2022
निर्णय हेतु प्रकरण सुरक्षित रखे जाने का दिनांक	14.07.2026
निर्णय दिनांक	14.07.2026
दण्डादेश दिनांक	14.07.2026

आरोपी क्रमांक	आरोपीगण का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त किये जाने का दिनांक	आरोपित धारा	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि	दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. /धारा 468 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत विचारण के दौरान अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
01.	हिमांशु राकेश	28.01.2022	न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 201	प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 201 में दोषसिद्ध	प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 में आजीवन कारावास एवं 5,000/− रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 201 के अपराध में 02 (दो) वर्ष के सश्रम कारावास सहित 1,000/− रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित तथा अर्थदण्ड के अदायगी के व्यतिक्रम पर क्रमशः दो माह एवं 01 माह का सादा कारावास पृथक से ।	कुल 04 वर्ष 05 माह 16 दिवस है ।
02	रवि राकेश	28.01.2022	न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 201			कुल 04 वर्ष 05 माह 16 दिवस है ।
03	जयनारायण देवांगन	28.01.2022	न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 201			कुल 04 वर्ष 05 माह 16 दिवस है ।

– अनुक्रमणिका–

क्र०	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निर्णय का शीर्षक	**1**
2	अधिवक्तागण की उपस्थिति एवं आरोपीगण का विवरण	**1 से 2**
3	आरोप	**3 से 5**
4	स्वीकृत तथ्य	**5**
5	अभियोजन घटना	**5 से 8**
6	साक्षी, प्रदर्श एवं आर्टिकल	**45 से 52**
7	आरोपीगण की प्रतिरक्षा एवं उभयपक्ष के तर्क	**9 से 10**
8	अवधारणीय/विचारणीय प्रश्न	**10 से 12**
9	निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार	**12 से 38**
10	दण्डादेश	**39 से 40**
11	अभिरक्षा अवधि	**41**
12	संपत्ति का निराकरण	**42 से 43**
13	क्षतिपूर्ति आदेश	**43 से 44**
14	धारा 428 द०प्र०सं०/धारा 468 भा०ना०सु०सं० का प्रमाण पत्र	**53 से 55**
15	सजा वारण्ट कारावास या जुर्माना	**39 से 40**
16	निर्णय की प्रति	**44 से 45**

न्यायालय, नेहा उसेंडी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार भाटापारा, वर्तमान जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़, छ.ग. द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक– **जे 136/2022** "छ.ग.राज्य विरुद्ध हिमांशु राकेश वगैरह" में पारित उपार्पण आदेश **दिनांक** 07.05.2022 से उत्पन्न सत्र प्रकरण ।

निर्णय

(दिनांक 14 जुलाई, 2026 को घोषित)

1) **आरोपीगण हिमांशु राकेश, रवि राकेश एवं जयनारायण देवांगन** के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 302, धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं**

धारा 201 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का यह आरोप है कि दिनांक 23.01.2022 की रात्रि 09:30 बजे से दिनांक 27.01.2022 की सुबह 07:00 बजे के मध्य ग्राम टिकरीपारा अंतर्गत थाना–बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार में स्थित रैनीभाठा तालाब के पास एवं अन्यत्र एकसाथ मिलकर **मृतक लोमेश कुमार** की मृत्यु कारित करने के समान आशय से या यह ज्ञान रखते हुए कि उनके कृत्य से मृत्यु हो सकती है या यह जानते हुए कि उनके द्वारा किये जाने वाला कार्य इतना आसन्न है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि उससे लोमेश कुमार की मृत्यु हो जायेगी या ऐसी शारीरिक क्षति कारित होगी जिससे लोमेश कुमार की मृत्यु कारित होना संभाव्य है और मृत्यु कारित करने या उक्त प्रकार की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना उन्होंने लोमेश कुमार को हाथ, मुक्का, लात एवं लोहे के सेलेन्सर से मारपीट कर लोमेश कुमार की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या किये तथा उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर एकसाथ मिलकर मृतक लोमेश कुमार की मृत्यु कारित करने के समान आशय से या यह ज्ञान रखते हुए कि उनके कृत्य से मृत्यु हो सकती है या यह जानते हुए कि उनके द्वारा किये जाने वाला कार्य इतना आसन्न है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि उससे लोमेश कुमार की मृत्यु हो जायेगी या ऐसी शारीरिक क्षति कारित होगी जिससे लोमेश कुमार की मृत्यु कारित होना संभाव्य है और मृत्यु कारित करने या उक्त प्रकार की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना उन्होंने सामान्य आशय के अग्रसरण में लोमेश कुमार को हाथ, मुक्का,

लात एवं लोहे के सेलेन्सर से मारपीट कर लोमेश कुमार की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या किये तथा उक्त दिनांक, समय एवं स्थान ग्राम टिकरीपारा अंतर्गत थाना–बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार में यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उन्होंने सामान्य आशय बनाकर उनके सामान्य आशय के अग्रसरण में लोमेश कुमार को हाथ, मुक्का, लात एवं लोहे के सेलेन्सर से मारपीट कर उसकी हत्या का अपराध किया है, मृतक लोमेश कुमार के शव को ग्राम टिकरीपारा स्थित रैनीभाठा तालाब में फेंका एवं अन्य साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित किये कि अपने को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित कर सके ।

2) प्रकरण में कोई सारवान स्वीकृत तथ्य नहीं हैं ।

3) संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक 24.01.2022 को प्रार्थी शिवप्रसाद साहू निवासी टिकरीपारा बिलाईगढ़ द्वारा थाना बिलाईगढ़ में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर यह सूचना दी गई कि दिनांक 23.01.2022 की रात्रि लगभग 09:30 बजे आरोपी हिमांशु राकेश एवं रवि राकेश ने उसके पुत्र लोमेश कुमार साहू को फोन कर बुलाया था तथा उसे रैनीभाठा तालाब के पास ले जाकर मारपीट की थी। घटनास्थल पर मृतक के फटे हुए कपड़े एवं रक्त के धब्बे पाए गए थे तथा उसका पुत्र उस रात्रि से लापता था। उक्त सूचना के आधार पर थाना बिलाईगढ़ में गुम इंसान क्रमांक 07/2022 दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। दिनांक 27.01.2022 को प्रातः लगभग 07:00 बजे लोकेश साहू द्वारा थाना बिलाईगढ़ को सूचना दी गई कि उसके भाई

लोमेश कुमार साहू का शव रैनीभाठा डबरी तालाब में पानी पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुँची और तस्दीक करने पर मृतक का शव तालाब के पानी में तैरता हुआ पाया गया। इसके पश्चात मर्ग क्रमांक 04/2022 दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की गई। शव के निरीक्षण में मृतक के सिर के पीछे गंभीर चोट, गले में गहरा कालापन एवं चोट के निशान, सीने पर खरोंच एवं घाव, बाँह, कोहनी, भुजा, कमर तथा दोनों घुटनों पर चोटों के चिन्ह पाए गए।

4) विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 23.01.2022 को रात्रि लगभग 09:15 बजे आरोपी हिमांशु राकेश ने अपने मित्र आरोपी जयनारायण देवांगन को मोबाइल फोन के माध्यम से शिव मंदिर के पास बुलाया तथा उसे बताया कि मृतक लोमेश उसकी बहन को फोन कर अशोभनीय एवं आपत्तिजनक बातें करता है तथा उससे यौन संबंध बनाने की मांग करता है। इसके पश्चात आरोपी हिमांशु ने मृतक लोमेश को आवश्यक कार्य होने का बहाना बनाकर फोन से बुलाया। रात्रि लगभग 10:45 बजे मृतक वहाँ पहुँचा, जहाँ आरोपी हिमांशु एवं जयनारायण ने उससे उक्त विषय पर विवाद करते हुए हाथ, मुक्का, लात एवं लोहे के साइलेंसर से मारपीट की। इसके बाद वे उसे अपने साथ उस स्थान पर ले गए जहाँ आरोपी रवि राकेश उपस्थित था। अभियोजन के अनुसार आरोपी रवि भी आवेश में आकर मृतक के साथ मारपीट करने लगा तथा तत्पश्चात तीनों आरोपी मृतक को मोटरसाइकिल से रैनीभाठा तालाब के समीप ले गए, जहाँ तीनों ने सामूहिक रूप से उसके

साथ मारपीट की तथा लोहे के साइलेंसर से उसके सिर पर प्राणघातक प्रहार किए, जिससे वह अचेत हो गया। अभियोजन का आगे का कथन यह है कि आरोपियों ने अचेत अवस्था में मृतक को हिमांशु राकेश के घर के बाथरूम में ले जाकर सीमेंट की बोरी से निर्मित तिरपाल में लपेटकर छिपाकर रखा तथा बाद में मृत्यु हो जाने एवं शव से दुर्गंध आने पर अपने अपराध को छिपाने के उद्देश्य से दिनांक 26.01.2022 की रात्रि लगभग 11:00 बजे मृतक के शव को रैनीभाठा तालाब में फेंक दिया गया ।

5) विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया। घटनास्थल से प्राप्त मृतक की टी–शर्ट एवं सेंडो बनियान की बरामदगी की गई। शव संबंधी आवश्यक पंचायतनामा कार्यवाही हेतु गवाहों को नोटिस दी गई तथा नक्शा पंचायतनामा की कायवाही की गयी। शव को पोस्टमार्टम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाईगढ़ भेजा गया, जहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई। तत्पश्चात शव को विधिवत सुपुर्दनामे के माध्यम से मृतक के पिता शिवप्रसाद साहू को सौंपा गया। घटनास्थल का पटवारी नक्शा तैयार कराने हेतु तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया जिसके पश्चात पटवारी द्वारा तैयार नजरी नक्शा एवं पंचनामा प्राप्त हुआ। विवेचना के दौरान आरोपी जयनारायण देवांगन, रवि राकेश एवं हिमांशु राकेश के मेमोरेंडम कथन दर्ज किए गए तथा उनके कथनों के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की जप्ती की गई तथा जप्तशुदा

सामग्रियों को रासायनिक परीक्षण, डायटम परीक्षण तथा विसरा परीक्षण हेतु विधिवत फॉरेन्सिक प्रयोगशाला भेजा गया जिसके पश्चात रिपोर्ट प्राप्त हुई।

6) इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा संबंधित मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड (SDR) एवं धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु सायबर सेल, बलौदाबाजार को पत्राचार किया गया तथा आवश्यक अभिलेख प्राप्त किए गए। घटनास्थल के समीप स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एकत्रित कर उसकी पेन ड्राइव आर्टिकल–01 तैयार कर अभिलेख पर प्रस्तुत की गई। विवेचक द्वारा प्रार्थी एवं अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर समस्त दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया गया। विवेचना में आरोपीगण की संलिप्तता प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर उनके विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलाईगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। चूँकि आरोपित अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय थे, अतः दिनांक 07.05.2022 को प्रकरण को विधिवत उपार्पित कर सत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया, जहाँ आरोपीगण के विरुद्ध विचारण प्रारंभ किया गया।

7) माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक 5147/चेकर/तीन–10–8/2000/(पार्ट–8) बिलासपुर, दिनांक 27.04.2023 द्वारा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सूचना क्रमांक 5145–5146/checker/III–10–8/2000(VII), dated 27.04.2023 के

माध्यम से विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक 5367/855–857/21–B/CG/2023 dated 26.04.2023 के अनुक्रम में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ के विविध आदेश क्रमांक/घ/एक–11–1/2005, रायगढ़ दिनांक 02.05.2023 के अनुसार यह प्रकरण विधिवत् निराकरण हेतु इस न्यायालय में अंतरण पर दिनांक 05.05.2023 को प्राप्त हुआ है।

8) अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर **आरोपीगण हिमांशु राकेश, रवि राकेश एवं जयनारायण देवांगन** के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 302, धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 201** के तहत आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाया व समझाया गया, उन्होंने आरोपित अपराध करने से इंकार करते हुए विचारण किये जाने का दावा किया। अभियोजन साक्ष्य के दौरान आरोपीगण के विरूद्ध प्रकट हुई परिस्थितियों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत प्रश्नोत्तर के रूप में उनका स्पष्टीकरण लिये जाने पर उन्होंने या तो अनभिज्ञता प्रकट की है या उन्होंने अस्वीकार किया है। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया है, लेकिन किसी भी साक्षी का बचाव साक्षी के रूप में कथन नहीं कराया है।

9) उभयपक्ष के साक्ष्य समाप्ति उपरांत उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों का तर्क श्रवण किया गया। अभियोजन की ओर से उपस्थित होकर अपर लोक अभियोजक ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आरोपीगण के कृत्य के संबंध में

अभियोजन साक्षियों द्वारा अखण्डनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त साक्षीगण का साक्ष्य एक–दूसरे के साक्ष्य से पूर्णतः समर्थित है । प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना में भी कोई त्रुटि नहीं है तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी आरोपीगण की संलिप्तता एवं कृत्य को दर्शाते हैं। अतः अभियोजन ने आरोपीगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया है । जबकि आरोपीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आरोपीगण निर्दोष हैं तथा उन्हें दुर्भावनावश मृतक के परिवारवालों ने झूठे प्रकरण में फंसाया है । प्रकरण में साक्षी ऋषिका एवं मृतक की भाभी का साक्ष्य दर्ज नहीं किया गया है, जो प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी हैं । प्रकरण में विवेचना त्रुटिपूर्ण है तथा किसी भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा घटना के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य नहीं दिया गया है । अतः आरोपीगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

10) **प्रकरण में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अनुसार प्रकरण के निराकरण हेतु इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं यथा:–**

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 23.01.2022 की रात्रि 09:30 बजे से दिनांक 27.01.2022 की सुबह 07:0 बजे के मध्य ग्राम टिकरीपारा अंतर्गत थाना–बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार में स्थित रैनीभाठा तालाब के पास एवं अन्यत्र एकसाथ मिलकर **मृतक लोमेश कुमार** की मृत्यु कारित करने के समान आशय से या यह ज्ञान रखते हुए कि उनके कृत्य से मृत्यु हो सकती है या यह जानते हुए कि उनके द्वारा किये जाने वाला कार्य इतना आसन्न है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि उससे लोमेश कुमार

की मृत्यु हो जायेगी या ऐसी शारीरिक क्षति कारित होगी जिससे लोमेश कुमार की मृत्यु कारित होना संभाव्य है और मृत्यु कारित करने या उक्त प्रकार की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना उन्होंने लोमेश कुमार को हाथ, मुक्का, लात एवं लोहे के सेलेन्सर से मारपीट कर लोमेश कुमार की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या किये ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर एकसाथ मिलकर मृतक लोमेश कुमार की मृत्यु कारित करने के समान आशय से या यह ज्ञान रखते हुए कि उनके कृत्य से मृत्यु हो सकती है या यह जानते हुए कि उनके द्वारा किये जाने वाला कार्य इतना आसन्न है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि उससे लोमेश कुमार की मृत्यु हो जायेगी या ऐसी शारीरिक क्षति कारित होगी जिससे लोमेश कुमार की मृत्यु कारित होना संभाव्य है और मृत्यु कारित करने या उक्त प्रकार की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना उन्होंने सामान्य आशय के अग्रसरण में लोमेश कुमार को हाथ, मुक्का, लात एवं लोहे के सेलेन्सर से मारपीट कर लोमेश कुमार की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या किये ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान ग्राम टिकरीपारा अंतर्गत थाना–बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार में यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उन्होंने सामान्य आशय बनाकर उनके सामान्य आशय के अग्रसरण में लोमेश कुमार को हाथ,

मुक्का, लात एवं लोहे के सेलेन्सर से मारपीट कर उसकी हत्या का अपराध किया है, मृतक लोमेश कुमार के शव को ग्राम टिकरीपारा स्थित रैनीभाठा तालाब में फेंका एवं अन्य साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित किये कि अपने को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित कर सके ?

निष्कर्ष एवं उसके आधार

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 एवं 02

11) विचारणीय प्रश्न क्र०–01 एवं 02 के तथ्य आपस में संबंधित होने से तथ्यों एवं साक्ष्य की क्रमबद्धता बनाये रखने, पुनरावृत्ति से बचने व सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

12) **सर्वप्रथम प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या मृतक लोमेश कुमार की मृत्यु हो गयी है ?** इस संबंध में मृतक के पिता शिवप्रसाद साहू (अ०सा०–1) ने मृतक लोमेश को अपना पुत्र होने का कथन करते हुए उसके पुत्र लोमेश का शव दिनांक 27.01.2022 को रैनीभाठा डबरी तालाब ग्राम बिलाईगढ़ में मिलना बताया है । इसी प्रकार मृतक का भाई लोकेश साहू (अ०सा०–2) ने दिनांक 27.01.2022 को मृतक लोमेश का शव रैनीभाठा डबरी तालाब के अंदर पानी में तैरते हुए देखने का कथन किया है । साक्षी भुरवाराम कहरा (अ०सा०–3), बजरंग कहरा (अ०सा०–4), मनीराम साहू (अ०सा०–5), लक्ष्मीनारायण राकेश (अ०सा०–6), संदीप साहू (अ०सा०–8), ओमहरि (अ०सा०–9), राजेश्वर साहू (अ०सा०–10) ने

मृतक को पहचानने एवं उसकी मृत्यु होने का साक्ष्य दिये हैं । अनुसंधानकर्ता /सहायक उप निरीक्षक सी० आर० साहू (अ०सा०–19) ने मृतक के गुम होने की सूचना तथा मृतक लोमेश साहू के शव रैनी तालाब बिलाईगढ़ में पानी में डूबे होने की सूचना मिलने पर दस्तयाबी पंचनामा तैयार किये जाने का न्यायालयीन साक्ष्य दिया है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश कुर्रे (अ०सा०–7) एवं डॉक्टर अजय कुमार देवांगन (अ०सा०–17) ने संयुक्त रूप से मृतक लोमेश कुमार साहू के शव का पोस्टमार्टम करने का न्यायालयीन साक्ष्य दिया है । इन साक्षियों का उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में खण्डित नहीं हुआ है। बचाव पक्ष ने भी विशिष्ट रूप से कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है कि मृतक लोमेश कुमार की मृत्यु नहीं हुई है । अतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि मृतक लोमेश कुमार की मृत्यु हो गयी है ।

13) प्रकरण में **अब यह विचार किया जाना है कि मृतक लोमेश कुमार की मृत्यु की प्रकृति क्या है ?** इस संबंध में मृतक लोमेश कुमार के शव का परीक्षण दिनांक 27.01.2022 को चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश कुर्रे (अ०सा०–7) एवं डॉक्टर अजय कुमार देवांगन (अ०सा०–17) के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था । इस तथ्य की पुष्टि आरक्षक क्रमांक–593 गौरीशंकर कश्यप (अ०सा०–20) के साक्ष्य से भी होती है, जिन्होंने साक्ष्य दिया है कि मृतक लोमेश कुमार साहू पिता शिवप्रसाद साहू, उम्र–21 वर्ष, निवासी ग्राम

टिकरीपारा, बिलाईगढ़ के शव को पी०एम० के लिए मय आवेदन प्रदर्श पी. 43 C.H.C. बिलाईगढ़ लेकर गया था।

14) चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश कुर्रे (अ०सा०–7) एवं डॉक्टर अजय कुमार देवांगन (अ०सा०–17) ने अपने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में समान रूप से कथन किया है। डॉक्टर अजय कुमार देवांगन (अ०सा०–17) ने बताया है कि उसने दिनांक 27.01.2022 को दोपहर 12.00 बजे लोमेश प्रसाद साहू पिता शिवप्रसाद साहू उम्र 21 वर्ष पता बिलाईगढ़ थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार के शव का शार्ट पी०एम० के बाद फिर पी०एम० रिपोर्ट तैयार की गई। मृतक का शरीर एक औसत कद काठी का पुरूष था जो पी०एम० टेबल पर पीठ के बल लेटाया गया था। उसने काले रंग का फूल लोवर पेंट पहना था, शरीर पर एक फटा हुआ भूरे रंग का अण्डरवियर जिसमें Genx लिखा था। दोनों कपड़े भीगे हुये थे। पूरे शरीर के जोड़ों में अकड़न था। दोनों आंखें बंद थी, मुंह बंद था, चेहरा सूजा हुआ था, जीभ मुंह के अंदर था। शरीर में बाहरी चोंट निम्न प्रकार से थे –

1. मृतक के दायीं ओर तरफ के सिर में पैराईटल रीजन पर 5 x 5 x 3 सेंटीमीटर का गड्ढा था।
2. मृतक के दायी कान के पीछे ऑक्सीपीटल रीजन पर खून का थक्का जमा था जिसका आकार 5 x 4 x 5 सेंटीमीटर का था।
3. मृतक के बायें कंधे पर 3 x 1, 2 x 2 एवं 2 x 1 सेंटीमीटर के तीन खरोंच थे।
4. मृतक के बायें भुजा पर एक खरोंच जिसका आकार 5 x 2 सेंटीमीटर था।

5. मृतक के दायें हाथ में 3 से 4 की संख्या में खरोंच थे जिसका आकार 2 x 2, 2 x 2 एवं 2 X 1 सेंटीमीटर का था ।

6. मृतक के पीठ पर 8 से 9 की संख्या में खरोंच थे ।

7. मृतक के सीने पर Marbaling sign (जिसका अर्थ साक्षी ने बताया है कि जब लम्बे समय तक व्यक्ति पानी में डूबा रहता है तो सीने की रक्तवाहिनी नीले–हरे रंग की प्रदर्शित होती है) उपस्थित थे ।

8. मृतक के बायें घुटने पर आगे की तरफ 2 से 3 खरोंच थीं जिसका आकार 5 x 1, 4x 2 सेंटीमीटर था तथा 2 x 2, 2 x 1, 2 x 1 सेंटीमीटर के अन्य खरोंच के निशान भी पाये गये थे ।

15) इसी चिकित्सक साक्षी डॉक्टर अजय कुमार देवांगन (अ०सा०–17) ने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि मृतक के शरीर से दुर्गन्ध आ रही थी । मृतक के शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी । कपड़े पूरे भीगे हुये थे । मृतक के दोनों हाथों की हथेलियों और दोनो पैरों के तलवों में washerman sign (जिसका अर्थ साक्षी ने बतलाया है कि जब व्यक्ति लम्बे समय तक पानी में डूबा रहता है तो जो हथेलियों और तलवों पर wrinkles पड़ते हैं) उपस्थित थे ।

16) उक्त चिकित्सक साक्षी डॉक्टर अजय कुमार देवांगन (अ०सा०–17) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया है कि उसके द्वारा शव परीक्षण के दौरान निरीक्षण में पाया गया कि शव में पाये गये बाहरी चोंटो का विवरण उपरोक्तानुसार हैं । मृतक के कपाल खोलने पर उसने पाया कि उसके सिर के दाहिने ओर की हड्डी (Perital) फ्रेक्चर था तथा फ्रेक्चर के नीचे खून का थक्का जमा हुआ था । मृतक के वक्ष स्थल में परदा, पसली और कोमलस्व स्वस्थ एवं जुड़े हुये थे । फेफड़े संकुचित (कंजेस्टेड) एवं दबाने से गाढ़े लाल

रंग के खून बाहर आ रहा था । हृदय के बायां भाग खाली था तथा दायां भाग खून से भरा हुआ था । रक्तवाहिनियां खून एवं थक्कों से भरी हुई थी ।

17) इसी चिकित्सक साक्षी डॉक्टर अजय कुमार देवांगन (अ०सा०–17) ने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया है कि मृतक के पेट के परीक्षण में उसने पाया था कि परदा, आंत की झिल्लियां, मुंह, ग्रास नली स्वस्थ एवं जुड़े हुये थे। पेट एवं छोटी आंत में थोड़े मात्रा में अधपचा भोजन था । बड़ी आंत में मल थे । वृक्क, प्लीहा, गुरदा संकुचित थे । मूत्राशय खाली था । भीतरी एवं बाहरी जनेन्द्रीयां स्वस्थ और जुड़े हुये थे । उसने मृतक के दाहिने पैर के घुटने से एड़ी के बीच की हड्डी टीबिया (Tibia) की Diatom Test कराने हेतु सलाह दिया था । मृतक के पेट के ठोस अंग जिसमें यकृत, प्लीहा, फेफड़े, किडनी के कुछ भाग नमक पानी में डूबाकर एवं खोखले अंग जिसमें पेट, आंत के अन्य भाग को नमक पानी में डूबाकर एवं सामान्य नमक पानी में तीनों को अगल–अलग जार में बंद करके एफ एस एल (रासायनिक) जांच कराने हेतु अभिमत दिया था ।

18) इसी चिकित्सक साक्षी ने न्यायालयीन परीक्षण में अभिमत दिया है कि – मृतक की मृत्यु उसके द्वारा पी. एम. परीक्षण करने के 48 घण्टे से 72 घण्टे के मध्य की होना प्रतीत होती है । मृतक की मृत्यु का कारण उसके द्वारा Diatom Test और Viscera का एफ.एस.एल. की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उल्लेखित किया जाना कथित किया था । शव पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.

08 है, जिसके द से द भाग पर उसके तथा स से स भाग पर उसके वरिष्ठ डॉक्टर प्रकाश कुमार के हस्ताक्षर हैं।

19) डॉक्टर प्रकाश कुर्रे (अ०सा०–7) ने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि प्रकरण में संलग्न एफ०एस०एल० रिपोर्ट **प्रदर्श पी. 65** एवं डायटम रिपोर्ट **प्रदर्श पी. 66** का अवलोकन किये जाने पर मृतक का डायटम टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव है एवं एफ०एस०एल० रिपोर्ट में भी रासायनिक विष नहीं पाया जाना उल्लेखित है। इस चिकित्सक साक्षी ने अपना मत दिया है कि मृतक लोमेश साहू की मृत्यु की प्रकृति Homicidal (होमीसाईडल) थी ।

20) बचाव पक्ष की ओर से सुझाव दिये जाने पर इस चिकित्सक साक्षी (अ०सा०–7) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि डायटम रिपोर्ट में वर्णित पानी और हड्डी दोनों में पॉजीटिव फाईंडिंग ही होना चाहिए, तभी मृत्यु का कारण पता चलता है अन्यथा नहीं । साक्षी ने आगे यह स्वीकार किया है कि पी०एम० रिपोर्ट दिनांक 27.01.2022 प्रदर्श पी. 08 में उसने पेट तथा फेफड़ों में पानी नहीं पाया था, इस कारण उसका उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सामान्यतः जीवित अवस्था में पानी में डूबने से पेट और फेफड़े में पानी मौजूद रहता है और ऐसी स्थिति में श्वास रूकने से उसकी मृत्यु होती है ।

21) इस प्रकार चिकित्सक साक्षी डॉक्टर प्रकाश कुर्रे (अ०सा०–7) के द्वारा मुख्य परीक्षण में किये गये कथन का खण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है और उनके साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतक की मृत्यु की प्रकृति Homicidal प्रकृति

की है। **अतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि मृतक लोमेश कुमार साहू की मृत्यु की प्रकृति आपराधिक मानववध है ।**

22) प्रकरण में अब विचार किया जाना है कि क्या आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक लोमेश साहू को हाथ, मुक्का, लात एवं लोहे के सेलेन्सर से मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित कर उसकी हत्या किये हैं ?

23) प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी रूप से हत्या की घटना को देखने वाला कोई साक्षी उपलब्ध नहीं है। अतः अभियोजन का संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में अभियोजन को ऐसी पूर्ण एवं अखण्ड श्रृंखला स्थापित करनी होती है, जो केवल अभियुक्तों (आरोपियों) के अपराध की ओर ही संकेत करे तथा किसी अन्य परिकल्पना के लिए कोई युक्तिसंगत संभावना शेष न रहे।

24) प्रकरण में अभियोजन का प्रारंभिक घटना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संदीप साहू (अ०सा०–8) है। साक्षी संदीप साहू (अ०सा०–8) के अनुसार घटना दिनांक की रात्रि में वह दशहरा मैदान स्थित तालाब के समीप शौच हेतु गया था। शौच से वापस लौटते समय उसने देखा कि आरोपीगण दो मोटरसायकलों से वहाँ आए हुए थे तथा मृतक लोमेश भी उनके साथ उपस्थित था। साक्षी ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक एवं आरोपीगण के मध्य विवाद एवं झगड़ा हो रहा था तथा उस समय लोमेश के सिर में चोट लगी हुई थी और उसका सिर फटा हुआ दिखाई दे रहा था।

25) यद्यपि मुख्य परीक्षण के दौरान साक्षी संदीप साहू (अ०सा०–8) ने अभियोजन के कथन का पूर्ण समर्थन नहीं किया, परन्तु अभियोजन द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत किए जाने पर उसने अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वीकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब वह रैनी तालाब के पास पहुँचा था, तब मृतक लोमेश ने उसे देखकर कहा था कि "भैया मुझे बचाओ"। जब उसने लोमेश से पूछा कि क्या बात है, तब लोमेश ने उसे बताया था कि "लड़की वाला मामला है"। साक्षी संदीप साहू (अ०सा०–8) ने यह भी स्वीकार किया है कि वहाँ से लौटने के पश्चात उसने अपने मोबाइल फोन से ओमहरि (अ०सा०–9) को फोन कर यह सूचना दी थी कि लोमेश को आरोपीगण रवि, हिमांशु एवं जयनारायण रैनी तालाब की ओर ले गए हैं तथा उसके घर वालों को इसकी जानकारी दे दी जाए। यह तथ्य अत्यंत स्वाभाविक एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि घटना के तत्काल पश्चात दी गई सूचना को सामान्यतः अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि साक्षी ने घटना के समय अभियुक्तों के साथ मृतक को देखा था। इस प्रकार संदीप साहू (अ०सा०–8) का साक्ष्य मृतक को अंतिम बार आरोपीगण के साथ जीवित अवस्था में देखे जाने की महत्वपूर्ण परिस्थिति स्थापित करता है।

26) इस घटना के तत्काल पश्चात की कड़ी ओमहरि (अ०सा०–9) के साक्ष्य से स्थापित होती है तथा वह संदीप साहू (अ०सा०–8) के साक्ष्य का महत्वपूर्ण संपुष्टिकरण करता है एवं अभियोजन की कहानी में निरंतरता प्रदान करता है।

संदीप साहू ने उसे बताया कि लोमेश साहू की स्थिति ठीक नहीं है तथा उसे चोटें लगी हुई हैं। संदीप साहू ने उससे यह भी कहा कि वह उक्त जानकारी लोमेश साहू के परिजनों तक पहुँचा दे। साक्षी ने आगे बताया कि संदीप साहू ने उसे यह भी सूचित किया था कि उस समय लोमेश साहू के साथ आरोपीगण **रवि राकेश, हिमांशु तथा जयनारायण** मौजूद थे। साक्षी ओमहरि (अ०सा०–9) ने बताया कि उक्त सूचना प्राप्त होने पर उसने तत्काल लोमेश साहू के बड़े भाई **लोकेश साहू** को दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया तथा उससे पूछा कि क्या लोमेश साहू घर पर है। लोकेश द्वारा यह बताए जाने पर कि लोमेश घर नहीं पहुँचा है, उसने लोकेश को अपने घर बुलाया। इसके पश्चात वह तथा लोकेश दोनों मिलकर ग्राम टिकरीपारा, बिलाईगढ़ स्थित रैनीभाठा डबरी (तालाब) के आसपास लोमेश साहू की तलाश करने गए।

27) उक्त दोनों साक्षियों लोकेश साहू (अ०सा०–2) एवं ओमहरि (अ०सा०–9) ने संयुक्त रूप से यह बताया है कि रात्रि में रैनीभाठा तालाब के पास मृतक लोमेश साहू की तलाश करने पहुँचे, तब वहाँ आरोपी जयनारायण एवं आरोपी हिमांशु राकेश उपस्थित मिले थे। दोनों साक्षियों ने उनसे लोमेश साहू के संबंध में पूछताछ की, किन्तु आरोपीगण ने यह कहते हुए अनभिज्ञता व्यक्त की कि उन्होंने लोमेश को नहीं देखा है। इसके पश्चात दोनों साक्षियों ने आसपास लोमेश की खोजबीन की, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। फलस्वरूप वे वापस अपने घर जाने लगे।

28) मृतक का भाई लोकेश साहू (अ०सा०–2) ने आगे अपने साक्ष्य में बताया है कि उसी दौरान आरोपी हिमांशु राकेश ने उसके मोबाइल फोन पर संपर्क कर उसे अपने घर आने के लिए कहा तथा यह कहा कि उसे कुछ व्यक्तिगत (पर्सनल) बात करनी है। इस पर वह ओमहरि के साथ आरोपी हिमांशु राकेश के घर गया। वहाँ आरोपी हिमांशु राकेश ने बताया कि मृतक लोमेश उसकी बहन को मोबाइल फोन पर संदेश (मैसेज) भेजता था तथा कॉल करता था, जिससे वह नाराज था। इसी कारण उसने तथा आरोपी जयनारायण ने मृतक के साथ हाथ–मुक्कों से मारपीट की थी। आरोपी हिमांशु ने यह भी बताया कि इसके पश्चात आरोपी रवि मृतक को मोटरसाइकिल पर बैठाकर रैनीभाठा तालाब की ओर समझाने के लिए ले गया था, जहाँ रवि ने भी मृतक को दो–तीन थप्पड़ मारे थे तथा उसके बाद लोमेश तालाब में कूद गया और तब से नहीं मिल रहा है। उसके बाद वे लोग अपने घर चले गये थे ।

29) प्रकरण में घटना की अगली कड़ी के रूप में अभियोजन साक्षी लोकेश साहू (अ०सा०–2) का साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उक्त साक्षी ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घर आने के बाद उसने घटना के विषय में अपने पिता शिवप्रसाद साहू (अ०सा०–1) को अवगत कराया। इसके पश्चात वह अपने पिता के साथ लोमेश की तलाश में रैनीभाठा डबरी तालाब के पास गया। वहाँ पहुँचने पर आरोपीगण हिमांशु, रवि तथा जयनारायण पहले से उपस्थित मिले। जब शिवप्रसाद ने उनसे लोमेश के संबंध में पूछताछ की, तब आरोपीगण ने यह कहा कि उन्होंने लोमेश को नहीं देखा है।

30) लोकेश साहू (अ०सा०–2) ने आगे बताया है कि इसी दौरान आरोपी रवि ने यह सुझाव दिया कि संभवतः लोमेश चालक संदीप के घर गया हो, क्योंकि संदीप रैनीभाठा तालाब नहीं आया था। इस पर वह तथा उसके पिता संदीप के घर पहुँचे और वहाँ लोमेश के संबंध में जानकारी ली। संदीप ने स्पष्ट रूप से बताया कि लोमेश उसके घर नहीं आया है। इसके पश्चात लोकेश एवं उसके पिता अपने घर लौट आए, जबकि आरोपीगण संदीप के घर के आसपास ही रुके रहे।

31) लोकेश साहू (अ०सा०–2) के उक्त कथन का पर्याप्त समर्थन उसके पिता एवं अभियोजन साक्षी शिवप्रसाद साहू (अ०सा०–1) द्वारा किया गया है। शिवप्रसाद ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि लोकेश से घटना की जानकारी प्राप्त होने पर वह उसके साथ रैनीभाठा तालाब गया था, जहाँ तीनों आरोपीगण उपस्थित थे। वहाँ उसने आरोपी रवि से पूछा कि आखिर क्या हुआ था। इस पर रवि ने बताया कि मृतक लोमेश उसकी भतीजी ऋषिका को आपत्तिजनक एवं अनुचित संदेश भेजता था, जिसके कारण उन्होंने उसे तीन–चार थप्पड़ मारे थे और उसके बाद वह तालाब में कूद गया था। शिवप्रसाद ने यह भी कहा है कि उसने तथा लोकेश ने तालाब एवं उसके आसपास लोमेश की काफी तलाश की, परन्तु उसका कोई पता नहीं चला और अंततः वे दोनों घर वापस आ गए।

32) विवेचना अधिकारी/सहायक उप निरीक्षक सी० आर० साहू (अ०सा०–19) ने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि उसने विवेचना के दौरान आरोपी

जयनारायण देवांगन, हिमांशु राकेश तथा रवि राकेश का मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी. 13 से प्रदर्श पी. 15 लेखबद्ध किया था तथा आरोपी हिमांशु राकेश के घर के आंगन में बने बाथरूम बंद हालत में जहाँ मृतक को बेहोश हालत में रखा था, उसका तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी. 16 तैयार किया था । उसने बिलाईगढ़ खजरी रोड रमेश हार्डवेयर गोदाम जाकर रमेश कुमार जायसवाल के हार्डवेयर गोदाम की सी०सी०टी०वी० फुटेज मैकेनिक श्याम कुमार साहू से प्राप्त की थी, तत्संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 23 तैयार किया था ।

33) इसी साक्षी (अ०सा०–19) ने आगे साक्ष्य में बताया है कि मृतक के पी०एम० पश्चात चिकित्सक द्वारा आरक्षक गौरीशंकर कश्यप को मृतक के विसरा, बोन, सॉल्ट वॉटर की डायटम टेस्ट और विसरा जांच के लिए जो दिये गये थे, की जप्ती जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 24 के अनुसार की गई तथा आरोपी हिमांशु राकेश के घर–बाड़ी स्थित बाथरूम जो अंबुजा सिमेंट की बोरियों को सिलकर तिरपाल बनाया गया, जिसपर खून के धब्बे लगे थे, को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 17 के अनुसार जप्त किया था । उसने रैनीभाठा डबरी तालाब के ऊपर जाकर घटनास्थल पर गिरे खून आलूदा सर्कल से 08 पैकेट में घटनास्थल की मिट्टी को जप्त किया और सादी मिट्टी 100 ग्राम को भी जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 21 के अनुसार जप्त किया था ।

34) उक्त साक्षी (अ०सा०–19) ने आगे यह भी बताया है कि उसने आरोपी हिमांशु राकेश के घर से आरोपी जयनारायण देवांगन के पेश करने पर उपयोग में लायी गई मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 04 एच० डब्ल्यू०

2517 एवं आरोपी जयनारायण द्वारा धारित मोबाईल की भी जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 18 के अनुसार जप्त किया है । उसने आरोपी हिमांशु राकेश के पेश करने पर उसके घर से लोहे का सैलेंसर एवं मोबाईल की जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 25 के अनुसार जप्त किया है । आरोपी रवि राकेश के पेश करने पर उसकी मोटर सायकल और मोबाईल की जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 19 के अनुसार जप्ती की गई। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, टिकरीपाली स्कूल के पीछे कचरे के पास से आरोपी रवि राकेश के बताये जाने पर मृतक के मुँह में बांधे कपड़े एवं हाथ–पैर में बांधी रस्सी को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 20 के अनुसार जप्त किया गया । मृतक का शव डबरी तालाब रैनीभाठा के पानी में मिला था, इस हेतु तालाब के पानी को 01 लीटर बॉटल में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 22 के अनुसार जप्त किया गया एवं जप्त CCTV फुटेज की 32 जी०बी० सेनडिस्क पेनड्राईव आर्टिकल 01 है ।

35) यदि न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन किया जाए तो यह तथ्य संदेह से परे स्थापित होता है कि मृतक लोमेश को घटना की रात्रि अभियुक्तगण रवि हिमांशु एवं जयनारायण के साथ अंतिम बार जीवित अवस्था में देखा गया था। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संदीप साहू (अ०सा०–8) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने रैनीभाठा तालाब के पास अभियुक्तगण को मृतक के साथ देखा था, उस समय मृतक घायल अवस्था में था तथा उसने सहायता की गुहार भी लगाई थी। इसके पश्चात मृतक जीवित अवस्था में किसी अन्य व्यक्ति के साथ देखा जाना प्रमाणित नहीं हुआ। इसके विपरीत

अभियुक्तगण स्वयं मृतक के परिजनों को यह बताते रहे कि मृतक तालाब में कूद गया है जिससे यह स्पष्ट है कि वे मृतक की अंतिम स्थिति के संबंध में विशेष जानकारी रखते थे। इसके कुछ दिनों बाद मृतक का शव उसी रैनीभाठा तालाब से बरामद हुआ जहाँ उसे अभियुक्तगण के साथ अंतिम बार देखा गया था। अभियुक्तगण इस तथ्य का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सके कि मृतक उनके साथ रहने के पश्चात किस प्रकार मृत पाया गया। ऐसी परिस्थितियों में अंतिम बार साथ देखे जाने (Last Seen Theory) का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है तथा यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण एवं सुदृढ़ कड़ी के रूप में अभियुक्तगण की संलिप्तता की ओर स्पष्ट संकेत करता है।

36) परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में हेतु (motive) का विशेष महत्व होता है, यद्यपि उसका अभाव प्रत्येक मामले में अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जाता। इस संबंध में **<u>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भागोजी बनाम हैदराबाद गवर्नमेंट 1953 SCC Online Hyd 45</u>** में यह प्रतिपादित किया गया है कि **" हेतु का महत्व उस समय बढ़ जाता है जब कि प्रत्यक्ष व विश्वसनीय साक्ष्य की उपलब्धता न हो और वाद केवल घटनात्मक साक्ष्य पर ही निर्भर है।"** इस प्रकार जब अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित हो, तब अपराध के पीछे का कारण अथवा हेतुक एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अभियुक्त का हेतु (motive) एवं तैयारी (preparation) सुसंगत तथ्य हैं।

वर्तमान प्रकरण में आरोपी हिमांशु तथा आरोपी रवि द्वारा मृतक के परिजनों के समक्ष यह स्वीकार किया जाना कि मृतक उनकी बहन/भतीजी को मोबाइल पर संदेश भेजता था तथा उससे अनुचित बातचीत करता था, अभियोजन द्वारा स्थापित हेतु (motive) को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है। साथ ही, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अनुसार वे तथ्य भी सुसंगत होते हैं जो विवादित तथ्य का हेतुक (cause), अवसर (occasion) अथवा प्रभाव (effect) प्रदर्शित करते हैं। मृतक एवं आरोपियों के मध्य उक्त विवाद ही घटना का कारण (cause) था एवं लोमेश के द्वारा अकेले घटना स्थल पर जाना आरोपीगण को अपराध करने का अवसर (occasion) प्रदान किया था, जिसके परिणामस्वरूप मृतक के साथ मारपीट की गई। इसी प्रकार घटनास्थल से मृतक के फटे एवं रक्तरंजित वस्त्रों की बरामदगी, मृतक के शरीर पर पाई गई बहुविध चोटें तथा चिकित्सकीय साक्ष्य घटना के प्रभाव (effect) को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार धारा 7 एवं धारा 8 दोनों के आलोक में अभियोजन द्वारा घटना का कारण, हेतुक, अवसर तथा उसके परिणामों को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण एवं सुदृढ़ कड़ी है।

37) अभियोजन ने आरोपीगण के विरुद्ध न्यायातिरिक्त संस्वीकृति (Extra Judicial Confession) की परिस्थिति स्थापित करने का भी प्रयास किया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Balwinder Singh v. State**

of Punjab 1995 Supp. (4) SCC 259 यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

the principle that an extra–judicial confession, by its very nature is rather a weak type of evidence and requires appreciation with a great deal of care and caution. Where an extrajudicial confession is surrounded by suspicious circumstances, its credibility becomes doubtful and it loses its importance. **इसी प्रकार Sahadevan and another v. State of Tamil Nadu (2012) 6 SCC 403** यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

> 22 Upon a proper analysis of the above–referred judgments of this Court, it will be appropriate to state the principles which would make an extra– judicial confession an admissible piece of evidence capable of forming the basis of conviction of an accused. These precepts would guide the judicial mind while dealing with the veracity of cases where the prosecution heavily relies upon an extra–judicial confession alleged to have been made by the accused.
>
> **The Principles**
>
> i) The extra–judicial confession is a weak evidence by itself. It has to be examined by the court with greater care and caution.
>
> ii) It should be made voluntarily and should be truthful.

iii) It should inspire confidence.

iv) An extra–judicial confession attains greater credibility and evidentiary value, if it is supported by a chain of cogent circumstances and is further corroborated by other prosecution evidence.

v) For an extra–judicial confession to be the basis of conviction, it should not suffer from any material discrepancies and inherent improbabilities.

vi) Such statement essentially has to be proved like any other fact and in accordance with law.

38) उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि लोकेश साहू (अ०सा०–2) के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि जब वह हिमांशु के बुलाने पर घर गया था, तब हिमांशु ने उसे बताया था कि मृतक लोमेश साहू के साथ उसने और जयनारायण ने मारपीट की है तथा रवि, लोमेश को मोटरसायकल में बैठाकर रैनीभाठा तालाब के पास ले गया था, वहाँ रवि ने भी मृतक को दो–तीन झापड़ मारा था । मृतक लोमेश साहू के पिता शिवप्रसाद साहू (अ०सा०–1) ने भी कहा है कि जब वह रात्रि में तालाब के पास पहुँचा तो आरोपी रवि ने अन्य आरोपियों के समक्ष स्वयं उससे कहा था कि मृतक द्वारा उसकी भतीजी को गलत संदेश भेजे जाने के कारण उन्होंने उसे 3–4 थप्पड़ मारे थे और वह तालाब में कूद गया था। यह कथन आरोपीगण द्वारा मृतक के साथ मारपीट किए जाने की न्यायातिरिक्त संस्वीकृति की श्रेणी में आता है। यद्यपि न्यायातिरिक्त संस्वीकृति

(extra–judicial confession) सामान्यतः सावधानी से परखी जाती है, तथापि जब वह अन्य परिस्थितियों द्वारा संपुष्ट हो रही हो तब उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में उपरोक्त संस्वीकृति आरोपीगण के द्वारा बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से केवल मात्र मृतक के पिता और भाई के पूछे जाने पर की गयी है । बचाव पक्ष के द्वारा ऐसा कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि उनके द्वारा उक्त संस्वीकृति किसी डर अथवा दबाव के कारण की गयी थी । प्रकरण में यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उक्त संस्वीकृति विश्वसनीय संस्वीकृति की श्रेणी में दर्शित होती है क्योंकि इसका उल्लेख मृतक के पिता एवं भाई दोनों के साक्ष्य में है तथा वह परस्पर एक–दूसरे के साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य से समर्थित हैं ।

39) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के अंतर्गत आरोपीगण का आचरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वास्तव में मृतक स्वेच्छा से तालाब में कूद गया था, तो स्वाभाविक आचरण यह होता कि आरोपीगण तत्काल परिजनों अथवा पुलिस को सूचना देते। किन्तु अभिलेख से स्पष्ट है कि आरोपीगण ने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही मृतक के परिजनों को तत्काल वस्तुस्थिति बताई। इसके विपरीत उन्होंने प्रारंभ में मृतक के संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त की, बाद में अलग–अलग व्यक्तियों को अलग–अलग जानकारी दी तथा रात्रि में तालाब के आसपास उपस्थित रहकर मृतक को

खोजने का दिखावा किया। ऐसा आचरण सामान्य एवं स्वाभाविक आचरण नहीं माना जा सकता और यह उनके अपराधबोध की ओर संकेत करता है।

40) धारा 9 के अंतर्गत आरोपीगण एवं मृतक की पहचान, घटना स्थल की पहचान तथा घटना से संबंधित वस्तुओं की पहचान प्रासंगिक तथ्य हैं। संदीप साहू (अ०सा०–8), ओमहरि (अ०सा०–9), लोकेश साहू (अ०सा०–2) तथा शिवप्रसाद साहू (अ०सा०–1) सभी ने आरोपीगण की पहचान की है। इसी प्रकार मृतक के रक्तरंजित टी–शर्ट एवं बनियान की पहचान भी की गई है। इन तथ्यों से अभियोजन की कहानी को पर्याप्त संपुष्टिकरण प्राप्त होता है।

41) प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि दिनांक 24.01.2022 को ही रैनीभाठा तालाब के पास मृतक का फटा हुआ टी–शर्ट एवं बनियान रक्तरंजित अवस्था में प्राप्त हुआ, जिसकी जप्ती प्रदर्श पी. 04 के माध्यम से की गई। फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 65 में लोवर और टी शर्ट पर रक्त पाए जाने की पुष्टि की गई है। यह तथ्य इस संभावना को अस्वीकार करता है कि मृतक सामान्य रूप से तालाब में गिरकर डूब गया हो।

42) इसके अतिरिक्त आरोपी रवि राकेश के मेमोरेडम के आधार पर मृतक के मुँह में बांधे गए कपड़े तथा हाथ–पैर बांधने में प्रयुक्त प्लास्टिक रस्सी की बरामदगी प्रदर्श पी. 20 के माध्यम से प्रमाणित हुई है। जप्ती पंचनामा के साक्षी लक्ष्मीनारायण राकेश (अ०सा०–6) एवं राजेश्वर साहू (अ०सा०–10) ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि रस्सी एवं कपड़ा आरोपी रवि

राकेश के बताने पर बरामद किए गए थे। विवेचक सी.आर. साहू (अ०सा०–19) ने भी उक्त बरामदगी की पुष्टि की है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उक्त बरामदगी आरोपीगण के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य है।

43) सबसे महत्वपूर्ण तथ्य डायटम परीक्षण की रिपोर्ट है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार जल (Water Sample) में डायटम पाए गए, किन्तु मृतक की अस्थि (Bone Sample) में डायटम नहीं पाए गए। सामान्यतः यदि कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में डूबने से मरता है तो श्वसन क्रिया के दौरान डायटम शरीर में प्रवेश कर रक्त परिसंचरण के माध्यम से अस्थियों तक पहुँच जाते हैं। अस्थियों में डायटम का न पाया जाना इस ओर संकेत करता है कि मृतक की मृत्यु जल में डूबने से पूर्व ही हो चुकी थी तथा शव को बाद में पानी में डाला गया था। अतः यह वैज्ञानिक साक्ष्य आरोपीगण के उस संभावित बचाव को पूर्णतः अस्वीकार करता है कि मृतक स्वयं तालाब में कूद गया था अथवा उसकी मृत्यु आकस्मिक डूबने से हुई थी।

44) उपरोक्त समस्त साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि आरोपीगण रवि राकेश, हिमांशु राकेश एवं जयनारायण का आचरण केवल स्वतंत्र एवं पृथक–पृथक कृत्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक साझा उद्देश्य एवं पूर्वनिश्चित मनोभावना (common intention) के साथ कार्य कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संदीप साहू (अ०सा०–8) द्वारा मृतक को आरोपीगण के साथ अंतिम बार जीवित अवस्था में देखे जाने,

लोकेश साहू (अ०सा०–2) एवं शिवप्रसाद साहू (अ०सा०–1) के समक्ष आरोपीगण द्वारा मृतक के साथ मारपीट किए जाने तथा उसके तालाब में कूद जाने की बात स्वीकार करने, मृतक के रक्तरंजित एवं फटे हुए वस्त्रों की घटनास्थल से बरामदगी, आरोपी रवि राकेश की सूचना पर मृतक के मुँह में ठूँसे गए कपड़े तथा हाथ–पैर बाँधने में प्रयुक्त रस्सी की बरामदगी, तथा डायटम परीक्षण एवं चिकित्सीय साक्ष्य से यह सिद्ध होने कि मृत्यु डूबने से पूर्व ही हो चुकी थी, इन सभी परिस्थितियों को संयुक्त रूप से देखने पर यह निष्कर्ष अपरिहार्य रूप से निकलता है कि आरोपीगण ने मृतक के विरुद्ध सामूहिक रूप से कार्य किया, उसे अपने नियंत्रण में रखा, उसके साथ मारपीट की, उसके हाथ–पैर एवं मुँह बाँधे तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसके शव को तालाब में फेंका। घटना के पूर्व, घटना के दौरान तथा घटना के पश्चात आरोपीगण का समन्वित आचरण उनकी साझा आपराधिक मंशा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आरोपीगण का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत समान आशय (common intention) से किया गया कृत्य है और प्रत्येक आरोपी अपने सह–आरोपीगण द्वारा किए गए सम्पूर्ण अपराध के लिए समान रूप से उत्तरदायी है।

45) **बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में विवेचनात्मक त्रुटियाँ हैं, जिनके कारण अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता है तथा उक्त त्रुटियों का लाभ आरोपीगण को प्राप्त होना**

चाहिए । इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत करनैल सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य 1995 (5) एस.सी.सी. 518** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विवेचनात्मक त्रुटियों से संबंधित मामले में न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक करना चाहिए, किंतु मात्र विवेचनात्मक त्रुटियों के आधार पर किसी आरोपीगण को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार विधिक स्थिति स्पष्ट है कि विवेचना में कुछ लोप या कमियां अथवा विवेचक की लापरवाही हो सकती है किंतु हस्तगत प्रकरण में उक्त कमियों के बावजूद अभियोजन ने प्रकरण के तथ्यों को मुख्य घटनाक्रम के संबंध में भलीभांति स्पष्ट किया है।

46) **बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन ने ऋषिका, जो अभियुक्त हिमांशु की बहन है तथा मृतक की भाभी (जिसका नाम उल्लेखित नहीं है) का परीक्षण नहीं कराया है, जिससे अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है।** उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अनुसार किसी तथ्य के प्रमाण हेतु साक्षियों की कोई निश्चित संख्या अपेक्षित नहीं है तथा न्यायालय साक्षियों की संख्या नहीं बल्कि उनके साक्ष्य की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता को महत्व देता है। वर्तमान प्रकरण में ऋषिका न तो घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और न ही वह घटनाक्रम की ऐसी अनिवार्य साक्षी है जिसके अभाव में अभियोजन की कहानी अपूर्ण रह जाए। ऐसी स्थिति में केवल ऋषिका के परीक्षण न किए जाने मात्र से अभियोजन के अन्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद साक्ष्यों का मूल्य

कम नहीं हो जाता, विशेषकर तब जब बचाव पक्ष भी उसे अपने पक्ष में साक्षी के रूप में प्रस्तुत कराने के लिए स्वतंत्र था। इसी प्रकार मृतक की भाभी भी प्रकरण की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और न ही ऐसी साक्षी है, जिसके परीक्षण के अभाव में अभियोजन की कहानी अपूर्ण रह जायेगी । अतः न्यायालय की दृष्टि में यह आपत्ति निराधार है और अभियोजन प्रकरण पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

47) **बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि डायटम परीक्षण करते समय निर्धारित वैज्ञानिक प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, अतः डायटम रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता।** उक्त तर्क पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि डायटम परीक्षण स्वभावतः एक सहायक एवं पुष्टिकारक (corroborative) वैज्ञानिक परीक्षण है तथा इसे मृत्यु के कारण अथवा मृत्यु की परिस्थितियों के संबंध में अंतिम एवं निर्णायक (conclusive) साक्ष्य नहीं माना जाता। यदि परीक्षण की प्रक्रिया में कोई त्रुटि अथवा प्रोटोकॉल संबंधी कमी परिलक्षित होती है, तो उसका प्रभाव केवल उस रिपोर्ट के साक्ष्यात्मक मूल्य (probative value) पर पड़ता है, न कि अभियोजन के संपूर्ण मामले को स्वतः अविश्वसनीय बनाने पर। वर्तमान प्रकरण में भी डायटम रिपोर्ट को पृथक एवं स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि इसे अभिलेख पर उपलब्ध अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ समग्र रूप से मूल्यांकित किया जाना आवश्यक है। यहाँ प्रत्यक्षदर्शी एवं अंतिम बार साथ देखे जाने (last seen) संबंधी साक्ष्य, मृतक एवं

आरोपियों के मध्य स्थापित हेतु (motive), आरोपियों के आचरण, घटनास्थल से रक्तरंजित एवं फटे वस्त्रों की बरामदगी, आरोपियों के कथन के आधार पर रस्सी एवं कपड़े की बरामदगी, चिकित्सीय साक्ष्य तथा डायटम परीक्षण से यह तथ्य कि मृतक की मृत्यु पानी में फेंके जाने से पूर्व हो चुकी थी, सभी परिस्थितियाँ एक–दूसरे की पुष्टि करती हैं। अतः केवल इस आधार पर कि डायटम परीक्षण में कथित रूप से प्रत्येक वैज्ञानिक औपचारिकता का अक्षरशः पालन सिद्ध नहीं हुआ है, संपूर्ण अभियोजन प्रकरण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। डायटम रिपोर्ट का मूल्यांकन अन्य परिस्थितिजन्य एवं चिकित्सीय साक्ष्यों के साथ संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है और ऐसा करने पर यह रिपोर्ट अभियोजन द्वारा स्थापित घटनाक्रम को समर्थन प्रदान करती है।

48) **बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि वास्तव में शिवप्रसाद एवं लोकेश को यह विश्वास था कि मृतक लोमेश के साथ कोई गंभीर घटना घटित हुई है, तो प्रथम बार रैनीभाठा तालाब के पास खोजबीन करने के पश्चात उन्हें अपने घर वापस नहीं जाना चाहिए था।** यह तर्क न्यायालय की दृष्टि में स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता। अभिलेख से स्पष्ट है कि जब शिवप्रसाद एवं लोकेश रैनीभाठा तालाब के पास पहुँचे, तब आरोपियों द्वारा उन्हें यह बताया गया कि लोमेश संभवतः अन्यत्र चला गया है तथा वे स्वयं भी उसकी खोजबीन का आभास दे रहे थे। उस समय न तो किसी को यह जानकारी थी कि लोमेश की मृत्यु हो चुकी है और न ही ऐसी कोई परिस्थिति थी जिससे

तत्काल यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उसके साथ कोई गंभीर अनहोनी घट चुकी है। सामान्य मानवीय आचरण के अनुसार किसी व्यक्ति के कुछ समय के लिए घर न लौटने पर उसके परिजन पहले संभावित स्थानों पर उसकी तलाश करते हैं और उसके न मिलने पर घर लौटकर अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शिवप्रसाद एवं लोकेश ने भी यही किया; उन्होंने पहले स्वयं खोजबीन की, आरोपियों से पूछताछ की, संदीप के घर तक जाकर जानकारी प्राप्त की अन्य व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों से जानकारी लेने का प्रयास किया तथा जब मृतक का कोई पता नहीं चला तब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अतः प्रथम चरण की खोजबीन के बाद उनका घर लौट जाना न तो अस्वाभाविक है और न ही ऐसा आचरण है जिससे उनके साक्ष्य की विश्वसनीयता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इसके विपरीत उनका व्यवहार एक चिंतित पिता एवं भाई के स्वाभाविक मानवीय आचरण के अनुरूप प्रतीत होता है, इसलिए इस आधार पर उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता।

49) उपरोक्त समस्त साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन से निम्न परिस्थितियाँ संदेह से परे सिद्ध होती हैं——

a. मृतक को अंतिम बार आरोपीगण के साथ जीवित देखा गया।
b. मृतक एवं आरोपीगण के मध्य विवाद होना प्रमाणित है।
c. आरोपीगण ने स्वीकार किया कि मृतक उनके साथ था।
d. घटना स्थल से मृतक के रक्तरंजित एवं फटे कपड़े बरामद हुए।
e. आरोपी रवि राकेश की निशानदेही पर मृतक के मुँह में बाँधा गया कपड़ा एवं हाथ–पैर बाँधने में प्रयुक्त रस्सी बरामद हुई।

f. मृतक का शव उसी तालाब से प्राप्त हुआ जहाँ उसे आरोपीगण के साथ अंतिम बार देखा गया था।

g. डायटम परीक्षण से प्रमाणित हुआ है कि मृत्यु डूबने से नहीं हुई, बल्कि मृत्यु के पश्चात शव को पानी में डाला गया।

h. आरोपीगण द्वारा कोई विश्वसनीय एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

50) अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन द्वारा स्थापित परिस्थितियाँ एक पूर्ण, अविच्छिन्न एवं अखंड श्रृंखला निर्मित करती हैं, जो किसी अन्य परिकल्पना को असंभव बनाते हुए केवल आरोपीगण की दोषसिद्धि की ओर संकेत करती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 6, 7, 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रमाणित तथ्य, आरोपीगण की निशानदेही पर हुई बरामदगी, अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत (Last Seen Theory) तथा डायटम परीक्षण से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्य संयुक्त रूप से आरोपीगण की अपराध में संलिप्तता को संदेह से परे प्रमाणित करते हैं। इसलिए यह न्यायालय अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को पूर्ण एवं विश्वसनीय मानते हुए आरोपीगण के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाता है। **अतः प्रकरण में धारा 302 एवं धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व प्रमाणित होना पाया जाता है ।**

<u>**विचारणीय प्रश्न क्रमांक– 03**</u>

51) जहाँ तक **धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता** के अंतर्गत दण्ड का प्रश्न है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ है कि आरोपीगण ने

अपराध कारित किए जाने के पश्चात् उसके साक्ष्यों को छिपाने तथा वास्तविक घटना को छद्म रूप से डूबने से हुई मृत्यु का स्वरूप देने का प्रयास किया। मृतक के मुँह पर बाँधा गया कपड़ा तथा हाथ पैर बाँधने में प्रयुक्त रस्सी को घटना स्थल से हटाकर अन्य स्थान पर फेंकना, मृतक के रक्तरंजित वस्त्रों को घटनास्थल से अलग करना तथा शव को जलाशय में डाल देना ऐसे कृत्य हैं जो स्पष्ट रूप से अपराध के साक्ष्य को लोप करने एवं अभियुक्तों को विधिक दण्ड से बचाने के उद्देश्य से किए गए थे। **अतः प्रकरण में धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व प्रमाणित होना पाया जाता है।**

52) अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण द्वारा मृतक की हत्या सामान्य आशय (common intention) के अग्रसरण में की गई थी, अतः उनका अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत प्रमाणित होता है। इसलिए **आरोपीगण हिमांशु राकेश, रवि राकेश एवं जयनारायण देवांगन** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत पृथक रूप से दण्डित न किया जाकर उन्हें केवल भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 201** के आरोप के तहत **सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध** किया जाता है।

53) प्रमाणित धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता की अपराध की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड की सजा से ही दण्डित किया जा सकता है, इसलिए परिवीक्षा का लाभ दोषसिद्ध आरोपीगण को नहीं दिया जायेगा।

54) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु प्रकरण थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

सही/–
(हरिश्चन्द्र मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश, सारंगढ़
जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ०ग०)
सत्र खण्ड– रायगढ़

55) दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। दोषसिद्ध आरोपीगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि दोषसिद्ध आरोपीगण नवयुवक हैं, ग्रामीण व्यक्ति हैं, कानून की जानकारी नहीं है, अपने–अपने परिवार में वृद्ध माता–पिता एवं भाई–बहन हैं, अतः न्यूनतम सजा दिये जाने का निवेदन किया है । इसके विपरीत अभियोजन ने दोषसिद्ध आरोपीगण को कड़ी से कड़ी सजा दिये जाने का निवेदन किया है ।

56) दोषसिद्ध आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में **मृतक लोमेश कुमार साहू** की साशय हत्या करने एवं शव को तालाब में फेंककर व अन्य साक्ष्य का विलोपन करने का अपराध प्रमाणित है। यह अपराध उनके द्वारा लोहे के सायलेंसर, हाथ–मुक्के एवं लात से मारपीट कर की गयी है । अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, दोषसिद्ध आरोपीगण की आयु, पूर्ववत शील एवं आनुषांगिक तथ्यों को देखते हुए मृत्युदण्ड से दण्डित करने का विरलतम से विरलतम प्रकरण दर्शित नहीं हो रहा है।

57) इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों, अपराध की गंभीरता एवं सजा के परिणाम के आधार पर विचार उपरांत **दोषसिद्ध आरोपीगण <u>हिमांशु राकेश, रवि राकेश एवं जयनारायण देवांगन</u>** को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा–302 सहपठित**

धारा 34 एवं धारा 201 के दण्डनीय अपराध में निम्नानुसार दण्डित किया जाता हैः–

क्रं.	दोषसिद्ध आरोपीगण का नाम	दोषसिद्ध धारा	दण्डादेश	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में प्रदत्त दण्ड
1	हिमांशु राकेश	धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता	आजीवन कारावास	₹ 5,000/– (पांच हजार रूपये)	02 माह सादा कारावास
		धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता	02 (दो) वर्ष का सश्रम कारावास	₹ 1,000/– (एक हजार रूपये)	01 माह सादा कारावास
2	रवि राकेश	धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता	आजीवन कारावास	₹ 5,000/– (पांच हजार रूपये)	02 माह सादा कारावास
		धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता	02 (दो) वर्ष का सश्रम कारावास	₹ 1,000/– (एक हजार रूपये)	01 माह सादा कारावास
3	जयनारायण देवांगन	धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता	आजीवन कारावास	₹ 5,000/– (पांच हजार रूपये)	02 माह सादा कारावास
		धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता	02 (दो) वर्ष का सश्रम कारावास	₹ 1,000/– (एक हजार रूपये)	01 माह सादा कारावास

58) दोषसिद्ध आरोपीगण को उपरोक्त दोनों सजाएं धारा– 31 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार साथ–साथ भुगताई जावे। अर्थदण्ड की राशि अदा न

करने पर दोषसिद्ध आरोपीगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा– 30(2) के अंतर्गत प्रदत्त अतिरिक्त सादा कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।

59) दोषसिद्ध आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं। दोषसिद्ध आरोपीगण हिमांशु राकेश, रवि राकेश एवं जयनारायण देवांगन **दिनांक 28.01.2022 से वर्तमान तक** न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनकी पुलिस अभिरक्षा की अवधि निरंक है। प्रत्येक दोषसिद्ध आरोपी का कुल अभिरक्षा/निरोध अवधि **04 वर्ष 05 माह 16 दिवस** है। दोषसिद्ध आरोपीगण द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि का प्रदत्त कारावास की अवधि से मुजरा/समायोजन किया जावेगा। तत्संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रमाण पत्र पृथक से तैयार किया जावे, जिसे निर्णय का भाग समझा जावे ।

60) दोषसिद्ध आरोपीगण **हिमांशु राकेश, रवि राकेश एवं जयनारायण देवांगन** न्यायिक अभिरक्षा में ही हैं । उनका सजा वारंट बनाया जाकर उन्हें सजा भुगताने के लिए **उप जेल सारंगढ़** प्रेषित किया जावे एवं उनका जेल वारंट अभिलेख में संलग्न किया जावे ।

61) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **मनोज भाई जेठा भाई परमार (रोहित) विरूद्ध गुजरात राज्य** 2025 SCC Online 2803 **के पैरा 82** में दिये गये निर्देश के अनुसार परीक्षित किये गये साक्षियों, प्रदर्शित किये गये दस्तावेजों एवं आर्टिकल के संबंध में तालिका निर्णय के अंत में पृथक से निर्धारित प्रारूप में बनायी गई है, जिसे निर्णय का भाग समझा जावे।

62) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति–

1. जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 23 के अनुसार–** रमेश कुमार जायसवाल के हार्डवेयर गोदाम की सी०सी०टी०वी० फुटेज की 32 जी०बी० सेनडिस्क पेनड्राईव **आर्टिकल 01 अभिलेख का भाग होने से प्रकरण में यथावत संलग्न रखा जावे ।**

2. जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 04** के अनुसार– घटनास्थल दशहरा मैदान मंच के पीछे सीढ़ी पर से गुम इंसान लोमेश साहू का खून का धब्बे लगे हुये टी शर्ट नीला धारीदार फटा हुआ एवं काले रंग के फटे हुये सेंडो बनियान, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 17** के अनुसार जप्त तिरपाल, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 20** के अनुसार जप्त मृतक के मुँह में बांधे कपड़े एवं हाथ–पैर में बांधी रस्सी, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 21** के अनुसार खून आलूदा सर्कल से 08 पैकेट में घटनास्थल की मिट्टी और एक पैकेट में सादी मिट्टी, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 22** के अनुसार जप्त रैनीभाठा डबरी तालाब के पानी 01 लीटर बॉटल, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 24 के अनुसार** जप्त टीबिया बोन, बिसरा कंटेंट, सादा नमक का घोल, मृतक का घटना के समय पहने काले रंग की लोवर एवं जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 25** के अनुसार जप्त लोहे का सायलेंसर को मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे अन्यथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत किया जावे।

3. जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 18** के अनुसार आरोपी जयनारायण देवांगन से जप्त मोटर सायकल क्रमांक CG–04HW–2517 डिलक्स तथा जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 19** के अनुसार आरोपी रवि राकेश से जप्त मोटरसायकल CG–04HM–3406 पैसन प्रो सुपुर्दनामे पर है जो अपील अवधि पश्चात् सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित समझा जावे अन्यथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत किया जावे।

4. जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 18** के अनुसार आरोपी जयनारायण देवांगन से जप्त की पैड मोबाईल जिसमें सीम नम्बर 8120927438 लगा हुआ, जिसका IMEI No. 355636824941282 है, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 25** के अनुसार आरोपी हिमांशु राकेश से जप्त मोबाईल MI रंग काला स्क्रीन टूटा हुआ जिसका IMEI – 869783035197129 एवं 869783035197137 है एवं सीम नम्बर 9399259841 लगा हुआ है, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 19** के अनुसार आरोपी रवि राकेश से जप्त मोबाईल Redmi टच स्क्रीन काला कलर स्क्रीन टूटा हुआ IMEI No. 869015040687954 व 869015040687962 तथा दो सीम नम्बर 6260506633 व 9098703076 लगा हुआ को अपील अवधि पश्चात् उनके विधिक स्वामी को विधिवत वापस लौटाया जावे अन्यथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत किया जावे।

63) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत मनोज भाई जेठा भाई परमार (रोहित) विरूद्ध गुजरात राज्य 2025 SCC Online 2803 के पैरा 82 में दिये गये निर्देश के अनुसार परीक्षित किये गये साक्षियों, प्रदर्शित किये गये दस्तावेजों एवं आर्टिकल के संबंध में तालिका निर्णय के अंत में निर्धारित प्रारूप में बनायी गई है, जिसे निर्णय का भाग समझा जावेगा ।

64) दोषसिद्ध आरोपीगण के निम्नवर्गीय होने से अधिरोपित अर्थदंड की राशि प्रतिकात्मक रूप से अधिरोपित होने से धारा– 357 दं.प्र.सं. के अधीन मुआवजा पर्याप्त नहीं होने के कारण माननीय शीर्ष न्यायालय के **न्यायदृष्टांत अंकुश शिवाजी गायकवाड़ विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य (2013) 06 एस.सी.सी. 770 एवं सुरेश बनाम हरियाणा राज्य (2015) 2 एस.सी.सी.** 227 में

प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में प्रभावित पक्ष को उचित व युक्तियुक्त प्रतिकर दिलाए जाने की कार्यवाही किया जाना भी उचित दर्शित होता है। **मृतक लोमेश कुमार साहू** 21 वर्ष के युवक थे, जिससे निश्चित ही परिवार को उससे अच्छे कार्य कर आय की उम्मीद रही होगी । उसकी मृत्यु के कारण उसके परिवार को आर्थिक क्षति एवं हानि होना अधिसम्भाव्य है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए की उपधारा 3 के अनुसार मृतक के परिवार को नियमानुसार उचित प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, **रायगढ़** को की जाती है तथा तत्संबंध में निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

65) दोषसिद्ध आरोपीगण को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावे । दोषसिद्ध आरोपीगण को इस निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के विधिक अधिकार से अवगत कराया गया और यह बताया गया कि वह जेल के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता योजना अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं ।

66) धारा 365 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार निर्णय की निःशुल्क प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से **जिला मजिस्ट्रेट सारंगढ़-बिलाईगढ़** को प्रेषित की जावे। निर्णय की एक प्रति **उप जेल सारंगढ़** एवं श्रीमान् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण **रायगढ़** को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च

न्यायालय के न्यायदृष्टांत (रामसाय विरूद्ध छ०ग० राज्य) 2016 एस.सी.सी. आन लाईन छ.ग. 1733 के आलोक में प्रेषित की जावे ।

स्थान – सारंगढ़
दिनांक– **14.07.2026**

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित ।
सही/–
(हरिश्चंद्र मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश, सारंगढ़,
जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ०ग०)
सत्र खण्ड– रायगढ़

मेरे निर्देश में टंकित किया गया ।
सही/–
(हरिश्चंद्र मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश, सारंगढ़,
जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ०ग०)
सत्र खण्ड– रायगढ़

टीप– (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत मनोज भाई जेठा भाई परमार (रोहित) विरूद्ध गुजरात राज्य 2025 SCC OnLine 2803 के पैरा 82 में दिये गये निर्देश के अनुसार परीक्षित किये गये साक्षियों, प्रदर्शित किये गये दस्तावेजों एवं आर्टिकल के संबंध में तीन तालिकाएं निम्नानुसार हैंः–

परीक्षित साक्षियों के लिए नमूना चार्ट

अभियोजन साक्षी क्र.	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
(अ०सा०–1)	शिवप्रसाद साहू	मृतक का पिता होकर प्रमुख साक्षी है ।
(अ०सा०–2)	लोकेश साहू	मृतक का भाई होकर प्रमुख साक्षी है ।
(अ०सा०–3)	भुरवाराम कहरा	मृतक का पड़ोसी एवं शव पंचनामा का साक्षी है ।
(अ०सा०–4)	बजरंग कहरा	मृतक के गांव का निवासी एवं अनुश्रुत साक्षी ।
(अ०सा०–5)	मनीराम साहू	मृतक के गांव का निवासी एवं अनुश्रुत साक्षी ।
(अ०सा०–6)	लक्ष्मीनारायण राकेश	शव पंचनामा, शव पहचान, मेमारेंडम, तलाशी पंचनामा एवं जप्ती का साक्षी है ।

(अ०सा०–7)	डॉक्टर प्रकाश कुर्रे (चिकित्सा अधिकारी)	शव का पी०एम० करने वाले चिकित्सक साक्षी हैं।
(अ०सा०–8)	संदीप साहू	प्रमुख साक्षी एवं कथन
(अ०सा०–9)	ओमहरि	प्रमुख साक्षी एवं कथन
(अ०सा०–10)	राजेश्वर साहू	नजरीनक्शा, मेमोरेंडम एवं जप्ती का साक्षी है।
(अ०सा०–11)	प्रमोद कुमार पाण्डेय	पटवारी होकर नजरीनक्शा तैयार करने वाले साक्षी है।
(अ०सा०–12)	रमेश कुमार जायसवाल	CCTV कैमरा के फुटेज के लिए नोटिस एवं सहमति के साक्षी हैं।
(अ०सा०–13)	सोनू कहरा	अनुश्रुत साक्षी
(अ०सा०–14)	हृदय आजाद	आरक्षक/विवेचनात्मक साक्षी
(अ०सा०–15)	हेमंत नायक	आरक्षक/CDR, SDR, 65B का साक्षी है।
(अ०सा०–16)	मनोहर सिंह पारेश्वर	कपड़ का बरामदगी पंचनामा का साक्षी है।
(अ०सा०–17)	डॉक्टर अजय कुमार देवांगन	शव के पी०एम० करने वाले चिकित्सक साक्षी हैं।
(अ०सा०–18)	श्याम कुमार साहू	CCTV संबंधी एवं जप्ती का साक्षी है।
(अ०सा०–19)	सी० आर० साहू	सहायक उप निरीक्षक/विवेचनात्मक साक्षी
(अ०सा०–20)	गौरीशंकर कश्यप (आरक्षक क्रमांक–593)	आरक्षक/विवेचनात्मक साक्षी
(अ०सा०–21)	संजीव नेमा	नोडल अधिकारी जिओ कंपनी इनफोकॉम/CDR, SDR, 65B का साक्षी है।
(अ०सा०–22)	विंटन साहू	निरीक्षक/विवेचनात्मक साक्षी

प्रदर्शित दस्तावेजों के लिए नमूना चार्ट

प्रदर्श क्र.	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा प्रमाणित/ अनुप्रमाणित
1	आवेदक शिवप्रसाद साहू का लिखित रिपोर्ट	अ०सा०–1
2	गुम इंसान की रिपोर्ट	अ०सा०–1
3	बरामदगी पंचनामा (टी शर्ट एवं सेण्डो बनियान)	अ०सा०–1
4	**संपत्ति जप्ती पत्रक–** गुम इंसान लोमेश साहू का पहना हुआ नीला धारीदार फटा हुआ एवं खून के धब्बे लगे हुये टी शर्ट एवं फटे हुये हालत में काले रंग के सेण्डो बनियान	अ०सा०–1
5	गुम इंसान का शव बरामदगी (दस्तयाबी) पंचनामा	अ०सा०–1
6	मृत्यु जांच में उपस्थिति बाबत् गवाहों को धारा 175 दण्ड प्रक्रिया संहिता का नोटिस।	अ०सा०–1
7	नक्शा पंचायतनामा	अ०सा०–1
8	शव परीक्षा प्रतिवेदन (रिपोर्ट)	अ०सा०–1
9	शव सुपुर्दनामा पावती	अ०सा०–1
10	घटनास्थल रैनीभाठा डबरी तालाब का नजरीनक्शा/मौका नक्शा	अ०सा०–1
11	मर्ग इंटीमेशन क्रमांक–04/2022	अ०सा०–2
12	पटवारी द्वारा दिनांक 02.02.2022 को तैयार पंचनामा सह नजरीनक्शा	अ०सा०–2
13	आरोपी जयनारायण देवांगन का मेमोरेंडम कथन	अ०सा०–6
14	आरोपी रवि राकेश का मेमोरेंडम कथन	अ०सा०–6
15	आरोपी हिमांशु राकेश का मेमोरेंडम कथन	अ०सा०–6
16	तलाशी पंचनामा (बाथरूम)	अ०सा०–6
17	**संपत्ति जप्ती पत्रक–** खून का धब्बा लगा हुआ तिरपाल	अ०सा०–6
18	**संपत्ति जप्ती पत्रक–** आरोपी जयनारायण देवांगन के द्वारा पेश करने पर एक मोटर सायकल क्रमांक– CG–04HW–2517 डिलक्स एवं की पैड मोबाईल जिसमें सीम नम्बर 8120927438 लगा हुआ, जिसका IMEI No. 355636824941282 है।	अ०सा०–6
19	**संपत्ति जप्ती पत्रक–** आरोपी रवि राकेश के द्वारा पेश करने पर मोटर सायकल क्रमांक– CG–04HM–3406 पैसन प्रो एवं मोबाईल Redmi टच स्क्रीन	अ०सा०–6

	काला कलर स्क्रीन टूटा हुआ IMEI No. 869015040687954 व 869015040687962 तथा दो सीम नम्बर 6260506633 व 9098703076 लगा हुआ ।	
20	**संपत्ति जप्ती पत्रक–** आरोपी रवि राकेश के द्वारा पेश करने पर शर्ट कपड़ा फटा हुआ चेकदार लाल–काला–नीला–सफेद रंग का एवं प्लास्टिक काला सफेद रस्सी लम्बाई लगभग 20 फीट ।	अ०सा०–6
21	**संपत्ति जप्ती पत्रक–** घटनास्थल रैनीभाठा डबरी तालाब के ऊपर से घटनास्थल पर गिरे खून आलूदा मिट्टी आठ पैकेट में एवं एक पैकेट में 100 ग्राम सादी मिट्टी ।	अ०सा०–6
22	**संपत्ति जप्ती पत्रक–** घटनास्थल रैनीभाठा तालाब का पानी एक प्लास्टिक बॉटल ।	अ०सा०–6
23	**संपत्ति जप्ती पत्रक–** रमेश कुमार जायसवाल के हार्डवेयर गोदाम टिकरीपारा में लगे CCTV कैमरा का फुटेज का पैन ड्राइव 32 GB SanDisk Company.	अ०सा०–6
24	**संपत्ति जप्ती पत्रक–** CHC Bilaigarh से सीलबंद स्थिति में पेश करने पर 1. मृतक का दाहिने तरफ की टीबिया बोन, 2. Solid विसरा, लिवर, स्पलिन, लंग, किडनी जो सादे नमक पानी में थे के टुकड़े, 3. Hollow विसरा जिसमें पेट, अतडियों के कंटेंट तथा 4. Normal Salt water एवं मृतक लोमेश साहू का काला रंग का लोवर ।	अ०सा०–6
25	**संपत्ति जप्ती पत्रक–** आरोपी हिमांशु राकेश के पेश करने पर एक लोहे का सायलेंसर एवं मोबाईल MI रंग काला स्क्रीन टूटा हुआ जिसका IMEI – 869783035197129 एवं 869783035197137 है एवं सीम नम्बर 9399259841 लगा हुआ ।	अ०सा०–6
26	आरोपी जयनारायण देवांगन का गिरफ्तारी पत्रक	अ०सा०–6
27	आरोपी रवि राकेश का गिरफ्तारी पत्रक	अ०सा०–6
28	आरोपी हिमांशु राकेश का गिरफ्तारी पत्रक	अ०सा०–6
29	स्थल पंचनामा (फॉरेन्सिक जांच हेतु रैनीभाठा डबरी तालाब का शीलबंद एवं जांच हेतु सील खोलने)	अ०सा०–6
29	रमेश कुमार जायसवाल को उसके गोदाम में लगे CCTV कैमरे की फुटेज पेनड्राईव में रिकार्ड करने बाबत् नोटिस ।	अ०सा०–12
30	पटवारी द्वारा दिनांक 26.02.2022 को तैयार	अ०सा०–6

	घटनास्थल का नजरीनक्शा	
30	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर को जप्तशुदा प्रदर्शों का रासायनिक परीक्षण कर रिपोर्ट देने बाबत प्रेषित आवेदन	अ०सा०–14
31	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर को जप्तशुदा टीबिया बोन का डायटम टेस्ट कर रिपोर्ट देने बाबत प्रेषित आवेदन	अ०सा०–14
31	शार्ट पी.एम. रिपोर्ट	अ०सा०–7
31	लक्ष्मीनारायण राकेश को प्रदत्त नोटिस अंतर्गत धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता	अ०सा०–6
32	राजेश्वर साहू को प्रदत्त नोटिस अंतर्गत धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता	अ०सा०–10
32	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर को जप्तशुदा बिसरा का रासायनिक परीक्षण कर रिपोर्ट देने बाबत प्रेषित आवेदन	अ०सा०–14
33	मौके नक्शे के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी बिलाईगढ़ को प्रेषित आवेदन	अ०सा०–11
33	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में सामग्री जमा होने की प्रदर्श पावती रसीद	अ०सा०–14
34	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में सामग्री जमा होने की प्रदर्श पावती रसीद	अ०सा०–14
35	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में सामग्री जमा होने की प्रदर्श पावती रसीद	अ०सा०–14
36	सी०डी०आर० एवं एस०डी०आर० तथा केफ का 65 बी प्रमाण पत्र	अ०सा०–15
37	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ को मृतक लोमेश साहू के घटना के समय पहने काले रंग की लोवर जिसमें खून के धब्बे लगे थे, की क्वेरी रिपोर्ट हेतु प्रेषित आवेदन एवं क्वेरी रिपोर्ट	अ०सा०–22 एवं अ०सा०–17
37	65 बी का प्रमाण पत्र हेतु नोडल अधिकारी आईडिया कंपनी को प्रेषित आवेदन	अ०सा०–15
38	जप्त तिरपाल का क्वेरी रिपोर्ट प्रदान करने बाबत् आवेदन	अ०सा०–22 एवं अ०सा०–17
38	65 बी का प्रमाण पत्र हेतु नोडल अधिकारी जियो कंपनी को प्रेषित आवेदन	अ०सा०–15
39	जप्त नीलाधारीदार टी शर्ट, काले रंग का बनियान का	अ०सा०–22 एवं

	क्वेरी रिपोर्ट हेतु प्रेषित आवेदन एवं रिपोर्ट	अ०सा०–17
39	नोडल ऑफिसर, रायपुर को 65B के तहत जिओ कंपनी को डाटा उपलब्ध कराने बाबत आवेदन तथा मेल से प्राप्त CDR, SDR and केफ जो 43 पेज है	अ०सा०–15 एवं अ०सा०–21
40	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ को जप्त मोटर सायकल के सायलेंसर से मृतक के सिर पर आयी चोट से मृतक की मृत्यु के संबंध में अभिमत प्रदान करने हेतु प्रेषित आवेदन एवं रिपोर्ट	अ०सा०–22 एवं अ०सा०–17
41	CCTV कैमरे में संरक्षित फूटेज को पैनड्राईव में रिकार्ड को सुरक्षित रखे जाने के संबंध में प्रेषित नोटिस	अ०सा०–19
42	श्यामकुमार साहू द्वारा CCTV फुटेज में कोई छेड़छाड़ नहीं करने के संबंध में प्रमाण पत्र	अ०सा०–18
43	सी०एच०सी० बिलाईगढ़ को मृतक के शव का पी०एम० के लिए शव मय प्रेषित आवेदन	अ०सा०–19
44	कर्तव्य प्रमाण पत्र (आरक्षक गौरीशंकर कश्यप)	अ०सा०–9
45	कार्यपालिक दण्डाधिकारी को घटनास्थल का हल्का पटवारी से नजरीनक्शा तैयार करवाने बाबत् प्रेषित आवेदन	अ०सा०–12
46	आरोपी जयनारायण देवांगन के गिरफ्तारी की सूचना	अ०सा०–19
47	आरोपीगण रवि राकेश एवं हिमांशु राकेश के गिरफ्तारी की सूचना	अ०सा०–19
48	साईबर सेल द्वारा सत्यापित जिओ कंपनी के तीनों मोबाईल नंबर के संबंध में प्राप्त जानकारी का धारा 65 बी का प्रमाण पत्र	अ०सा०–21
49	मोबाईल नंबर 6260506633 का Customer Application Form (C.A.F.) की साईबर सेल द्वारा सत्यापित प्रति	अ०सा०–21
50	मोबाईल नंबर 8120927438 का Customer Application Form (C.A.F.) की साईबर सेल द्वारा सत्यापित प्रति	अ०सा०–21
51	मोबाईल नंबर 9399259841 का Customer Application Form (C.A.F.) की साईबर सेल द्वारा सत्यापित प्रति	अ०सा०–21
प्रदर्श पी. 52 से प्रदर्श पी. 54 तक	मोबाईल नंबर 6260506633 का दिनांक 21.01.2022 से दिनांक 24.01.2022 तक के C.D.R. की साईबर सेल द्वारा सत्यापित प्रति	अ०सा०–21
प्रदर्श पी. 55 से प्रदर्श पी.	मोबाईल नंबर 8120927438 का दिनांक 21.01.2022 से दिनांक 24.01.2022 तक के	अ०सा०–21

57 तक	C.D.R. की साईबर सेल द्वारा सत्यापित प्रति	
प्रदर्श पी. 58 से प्रदर्श पी. 63 तक	मोबाईल नंबर 9399259841 का दिनांक 21.01.2022 से दिनांक 24.01.2022 तक के C.D.R. की साईबर सेल द्वारा सत्यापित प्रति	अ०सा०–21
64	सी.डी.आर./एस.डी.आर., कैफ तथा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र हेतु नोडल अधिकारी/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सायबर सेल बलौदाबाजार, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) को प्रेषित आवेदन पत्र	अ०सा०–22
65	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से मृतक के कपड़े, मिट्टी, तिरपाल की रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट (F.S.L. Report)	अ०सा०–22
66	डायटम टेस्ट रिपोर्ट (Diatom Test Report)	अ०सा०–22
67	मृतक की विसरा रिपोर्ट	अ०सा०–22
68	अंतिम प्रतिवेदन	अ०सा०–22
69	रोजनामचा सान्हा क्रमांक 24 की सत्यप्रति	अ०सा०–19
70	प्रथम सूचना प्रतिवेदन अपराध क्रमांक 19/2022	अ०सा०–19
प्र०डी०–1	शिवप्रसाद साहू का पुलिस कथन	अ०सा०–1
प्र०डी०–2	लोकेश कुमार साहू का पुलिस कथन	अ०सा०–2
प्र०डी०–3	संदीप साहू का पुलिस कथन	अ०सा०–8
प्र०डी०–3	मनीराम साहू का पुलिस कथन	अ०सा०–4
प्र०डी०–4	ओमहरि राकेश का पुलिस कथन	अ०सा०–9

भौतिक वस्तुओं/मद्दामाल के लिए नमूना चार्ट

भौतिक वस्तु (M.O.) क्रमांक;	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा प्रमाणित/ अनुप्रमाणित**
4	लोमेश साहू का पहना हुआ नीला धारीदार फटा हुआ एवं खून के धब्बे लगे हुये टी शर्ट एवं फटे हुये हालत में काले रंग के सेण्डो बनियान	अ०सा०–1
17	खून का धब्बा लगा हुआ तिरपाल	अ०सा०–6
18	एक मोटर सायकल क्रमांक– CG–04HW–2517 डिलक्स एवं की पैड मोबाईल जिसमें सीम नम्बर 8120927438 लगा हुआ, जिसका IMEI No. 355636824941282 है।	अ०सा०–6
19	मोटर सायकल क्रमांक– CG–04HM–3406	अ०सा०–6

	पैसन प्रो एवं मोबाईल Redmi टच स्क्रीन काला कलर स्क्रीन टूटा हुआ IMEI No. 869015040687954 व 869015040687962 तथा दो सीम नम्बर 6260506633 व 9098703076 लगा हुआ।	
20	आरोपी रवि राकेश के द्वारा पेश करने पर शर्ट कपड़ा फटा हुआ चेकदार लाल–काला–नीला–सफेद रंग का एवं प्लास्टिक काला सफेद रस्सी लम्बाई लगभग 20 फीट ।	अ०सा०–6
21	घटनास्थल रैनीभाठा डबरी तालाब के ऊपर से घटनास्थल पर गिरे खून आलूदा मिट्टी आठ पैकेट में एवं एक पैकेट में 100 ग्राम सादी मिट्टी।	अ०सा०–6
22	घटनास्थल रैनीभाठा तालाब का पानी एक प्लास्टिक बॉटल ।	अ०सा०–6
23	रमेश कुमार जायसवाल के हार्डवेयर गोदाम टिकरीपारा में लगे CCTV कैमरा का फुटेज का पैन ड्राइव 32 GB SanDisk Company.	अ०सा०–6
24	CHC Bilaigarh से सीलबंद स्थिति में पेश करने पर 1. मृतक का दाहिने तरफ की टीबिया बोन, 2. Solid विसरा, लिवर, स्पलिन, लंग, किडनी जो सादे नमक पानी में थे के टुकड़े, 3. Hollow विसरा जिसमें पेट, अतडियों के कंटेंट तथा 4. Normal Salt water एवं मृतक लोमेश साहू का काला रंग का लोवर ।	अ०सा०–6
25	एक लोहे का सायलेंसर एवं मोबाईल MI रंग काला स्क्रीन टूटा हुआ जिसका IMEI – 869783035197129 एवं 869783035197137 है एवं सीम नम्बर 9399259841 लगा हुआ ।	अ०सा०–6

दिनांक– **14.07.2026**
स्थान– सारंगढ़

सही/–
(हरिश्चन्द्र मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़
जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ छ०ग०
सत्र खण्ड–रायगढ़

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)
सत्र खण्ड– रायगढ़ (छ.ग.)

पीठासीन अधिकारी–हरिश्चन्द्र मिश्र

निर्णय दिनांक 14 जुलाई, 2026

सत्र प्रकरण क्रमांक – **22/2023**
CNR No. –CGRG040002152023
थाना–बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
वर्तमान जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़
अपराध क्रमांक – 19/2022
संस्थित दिनांक–13.05.2022/05.05.2023

अभियोजन	छ.ग.राज्य द्वाराः– आरक्षी केन्द्र **बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, वर्तमान** जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़, छ.ग.

विरुद्ध

आरोपी	**हिमांशु राकेश** पिता गणेशराम राकेश, उम्र–20 वर्ष, निवासी टिकरीपारा बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, वर्तमान जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ०ग०)

आरोपी का धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रमाण–पत्र

क्रमांक	दोषसिद्ध आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक/पुलिस अभिरक्षा की अवधि	जमानत अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	कुल अभिरक्षा की अवधि	मुजरा/ समायोजन अवधि
01	हिमांशु राकेश	28.01.2022/ निरंक	निरंक/ न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध	दिनांक 28.01.2022 से आज दिनांक 14.07.2026 तक	दिनांक 28.01.2022 से आज दिनांक 14.07.2026 तक (**कुल 04 वर्ष 05 माह 16 दिवस**)	**कुल 04 वर्ष 05 माह 16 दिवस**

टीपः– समायोजन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 क/धारा 475 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के निर्बधनों के अनुरूप किया जावेगा।

दिनांक **14.07.2026**
स्थान– सारंगढ़

सही/–
(हरिश्चन्द्र मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़
जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ छ०ग०
सत्र खण्ड–रायगढ़

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)
सत्र खण्ड– रायगढ़ (छ.ग.)

पीठासीन अधिकारी–हरिश्चन्द्र मिश्र

निर्णय दिनांक 14 जुलाई, 2026

सत्र प्रकरण क्रमांक – **22/2023**
CNR No. –CGRG040002152023
थाना–बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
वर्तमान जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़
अपराध क्रमांक – 19/2022
संस्थित दिनांक–13.05.2022/05.05.2023

अभियोजन	छ.ग.राज्य द्वाराः– आरक्षी केन्द्र **बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, वर्तमान** जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़, छ.ग.

विरुद्ध

आरोपी	**रवि राकेश** पिता गोकुल राकेश, उम्र–33 वर्ष, निवासी टिकरीपारा बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, वर्तमान जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ०ग०)

आरोपी का धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रमाण–पत्र

क्रमांक	दोषसिद्ध आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक/पुलिस अभिरक्षा की अवधि	जमानत अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	कुल अभिरक्षा की अवधि	मुजरा/समायोजन अवधि
02	रवि राकेश	28.01.2022/ निरंक	निरंक/ न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध	दिनांक 28.01.2022 से आज दिनांक 14.07.2026 तक	दिनांक 28.01.2022 से आज दिनांक 14.07.2026 तक (**कुल 04 वर्ष 05 माह 16 दिवस**)	**कुल 04 वर्ष 05 माह 16 दिवस**

टीपः– समायोजन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 क/धारा 475 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के निर्बधनों के अनुरूप किया जावेगा।

दिनांक **14.07.2026**
स्थान– सारंगढ़

सही/–
(हरिश्चन्द्र मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़
जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ छ०ग०
सत्र खण्ड–रायगढ़

SESSIONS TRIAL/22/2023
State of Chhattisgarh Vs Himanshu and ors.

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) सत्र खण्ड– रायगढ़ (छ.ग.)
पीठासीन अधिकारी–हरिश्चन्द्र मिश्र
निर्णय दिनांक 14 जुलाई, 2026 सत्र प्रकरण क्रमांक – **22/2023** **CNR No. –CGRG040002152023** थाना–बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा वर्तमान जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ अपराध क्रमांक – 19/2022 संस्थित दिनांक–13.05.2022

अभियोजन	छ.ग.राज्य द्वाराः– आरक्षी केन्द्र **बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, वर्तमान** जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़, छ.ग.
विरुद्ध	
आरोपी	**जयनारायण देवांगन** पिता जगदीश देवांगन, उम्र–23 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर–05 बिलाईगढ़, थाना बिलाईगढ़, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, वर्तमान जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ०ग०)

आरोपी का धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रमाण–पत्र

क्रमांक	दोषसिद्ध आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक/पुलिस अभिरक्षा की अवधि	जमानत अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	कुल अभिरक्षा की अवधि	मुजरा/समायोजन अवधि
01	जयनारायण देवांगन	28.01.2022 /निरंक	निरंक/न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध	दिनांक 28.01.2022 से आज दिनांक 14.07.2026 तक	दिनांक 28.01.2022 से आज दिनांक 14.07.2026 तक **(कुल 04 वर्ष 05 माह 16 दिवस**)	**कुल 04 वर्ष 05 माह 16 दिवस**

टीपः– समायोजन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 क/धारा 475 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के निर्बधनों के अनुरूप किया जावेगा।

दिनांक **14.07.2026**

स्थान– सारंगढ़

सही/–
(हरिश्चन्द्र मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़
जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ छ०ग०
सत्र खण्ड–रायगढ़